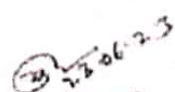


अंचल अधिकारी का कार्यालय, करमाटौंड(विद्यासागर)
संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या-145/2023

दि. ति	आदेश फलक	गतिय
	2	3
	-आदेश:-	
06/2023	अभिलेख उपस्थापित। यह अभिलेख मुख्य सचिव, झारखण्ड के पत्रांक 2074/रा0 दिनांक 13.5.16 के साथ सहपठित उपायुक्त, जामताड़ा के आदेश झापांक 461/रा0, दिनांक-14.5.16 के आधार पर संघारित किया गया है। उपायुक्त जामताड़ा के द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में राजस्व उप निरीक्षक हल्का संख्या-01 ने अंचल निरीक्षक करमाटौंड(विद्यासागर) के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन दिया है कि करमाटौंड(विद्यासागर) अंतर्गत मौजा-कुरुवा, थाना सं0-83, खाता सं0-60/9, दाग सं0-1145 रकबा-2.00 एकड़ भूमि जमाबंदीदार मो0 रफीक अंसारी पिता-दिन महम्मद अंसारी राग-कुरुवा, पोरट-कुरुवा थाना- करमाटौंड, जिला जामताड़ा के नाम से पंजी-11 में दर्ज है। तथा उक्त भूमि का राजस्व अभिलेख के साथ स्थल जाँच करने पर पाया कि उक्त भूमि का सर्वे खतियान में किस्म-पुरातन पतित कहकर दर्ज है तथा जमाबंदी पंजी के जमाबंदी नं0 60/9 में वर्ष 1999-2000 तक लगान जमा दर्ज है। आगे प्रतिवेदित किया है कि चूँकी पंजी-11 के प्राधिकार कालग में जमाबंदी कायम करने का कोई आधार दर्ज नहीं है तथा जमाबंदीदार के वारिशानों के द्वारा उक्त जमाबंदी का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उपरोक्त जमाबंदी संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है अतः जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदीधारी अथवा उनके जीवित वारिशान को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। वादी स्वयं उपस्थित होकर अपने दावा के समर्थन में लगान रसीद सं0-111104 एवं अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा का से0 गु0 सं0-182/1979-80 की छायाप्रति समर्पित किया है। वाद में समर्पित कागजातों की मूल एवं सत्यापित प्रति प्रदर्शित किया। राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन, करमाटौंड(विद्यासागर) ने संयुक्त रूप से प्रतिवेदन तथा नक्शा समर्पित किया है। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं अंचल अमीन के साथ मौजा-कुरुवा नं0-83 अन्तर्गत अनायादी खाता सं0-60/9 दाग सं0-1145 रकबा-2.00 एकड़ किस्म पुरातन पतित भूमि का जाँच एवं मापी किया गया। आगे प्रतिवेदित किया है कि उक्त भूमि पर जमाबंदीधारी मो0 रफीक अंसारी पिता-दिन महम्मद अंसारी राकिन कुरुवा के द्वारा मकान सह बाड़ी बनाकर दखल-कब्जा है। बंदोबस्ती कागजात, तथा राजस्व उप निरीक्षक हल्का सं0-1/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन करमाटौंड(विद्यासागर) के जाँच सह मापी प्रतिवेदन के आलोक में उपरोक्त वर्णित जमाबंदी सं0-60/9 को नियमित करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कारवाई हेतु भूमि सुधार उप सगाहत्ता, जामताड़ा को भेजे।  अंचल अधिकारी, करमाटौंड(विद्यासागर), जामताड़ा।	